न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 73/2014

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1गणपत पुत्र मियालराम 2रामदीन पुत्र शिंभुराम 3तेजाराम पुत्र मियालराम 4रामनिवास पुत्र मियालराम जातियान जाट निवासीगण रोल तहसील जायल जिला नागौर		1रामकिशोर पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर। 2ग्राम पंचायत रोल जरिये सचिव ग्राम पंचायत रोल तहसील जायल।

उपस्थिति–

1. श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 03.06.2022

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रोल द्वारा मिसल सं. 11/1980–81 जिसमे प्रस्ताव सं. 5 दिनांक 23.03.1981 जिसके द्वारा अप्रार्थी सं. 1 रामकिशोर के पक्ष में जारी पटटा सं. 29 दिनांक 12.11.1982 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 10.09.2014 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से दिनांक 20.10.2014 को भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं. 2 बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन में पटटा सं. 29 दिनांक 12.11.1982 की फोटोप्रति, बैठक कार्यवाही रजिस्टर के पृष्ठ की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत रोल के पत्र दिनांक 21.04.14 की प्रति, ग्राम रोल की खतौनी संवत 2066–69 की प्रति, ग्राम रोल की खेवट खतोनी संवत 2022–25 तथा 2026–29 की प्रति तथा अप्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट (पटटा सं. 29 के संबंध मे) की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जायल के फर्द अहकामात की फोटोप्रति, विकास अधिकारी पंचायत समिति जायल को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, पटटा सं. 29 व 11 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, पंचायत समिति जायल की कार्यालय टिप्पणी की फोटोप्रति, पंचायत समिति जायल के पत्र की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट (पटटा सं. 29 के संबंध मे) की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)–प्रस्ताव सं. 5 दिनांक 23.03.1981 ग्राम पंचायत रोल व पटटा सं. 29 दिनांक 11.12.1982 तथ्यो व विधि के विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(2)–प्रस्ताव व पटटा जैर निगरानी प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तो, नियम व विधि विरूद्व तथा फर्जी एवं बनावटी दस्तावेज होने से निरस्तनीय है।

2(3)–प्रस्ताव एवं पटटा जैर निगरानी मिथ्या, फर्जी, बनावटी दस्तावेज है, ग्राम पंचायत रोल के पूर्व सरपंच गोरधनराम (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) ने बदयान्ति से बगैर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लिये मिथ्या, फर्जी रूप से जारी किया है, जो केवलमात्र अप्रार्थी सं. 1 को नाजायज रूप से लाभ पहुचाने की गरज से तथाकथित मिसल नं. 11 वर्ष 1980–81 व रसीद नं. 36 व पटटा सं. 29 दिनांक 11.12.1982 प्रस्ताव सं. 5 दिनांक 23.03.1981 मनगढंत व बनावटी रूप से तथा मिथ्या रूप से मनमर्जी से अंकित करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार किया है। ग्राम पंचायत रोल के रेकर्ड मे तथाकथित मिसल नं. 11 व रसीद नं. 36 कोई अस्तित्व नही है, न ही प्रस्ताव सं. 5 मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम पटटा जारी करने का कोई उल्लेख है, न ही रसीद सं. 36 के जरिये कोई राशि 60 रू. पंचायत मे जमा होने का इन्द्राज है। इससे स्पष्ट है कि तथाकथित पटटा सं. 29 एक फर्जी व बनावटी दस्तावेज है।

अपर कलक्टर, नागौर

2(4)–जिस स्थान पर पट्टा जारी करने का उल्लेख किया गया है, वह भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नही रही थी, वह खसरा नं. 786 गै.मु. मगरा राजस्व भूमि है, ऐसी दशा मे ग्राम पंचायत को राजस्व भूमि मे पटटा जारी करने का कोई अधिकार नही रहा है, ऐसी दशा मे पट्टा जैर निगरानी अपास्त होने योग्य है।

2(5)–अप्रार्थी सं. 1 के नाम जिस जायगा का पटटा जारी किया गया है, वह मौके पर सिखवाल व जलवाणियां जाट की श्मशान की भूमि है तथा आज दिन तक श्मशान भूमि के रूप मे काम आती रही है। ऐसी दशा मे पटटा जैर निगरानी विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(6)–वादग्रस्त पट्टा श्मशान भूमि की जमीन का होने से बहुत ही संवेदनशील व आम लोगो के सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से कभी भी झगडे का विकराल रूप पैदा हो सकता है। अप्रार्थी सं. 1 ने फर्जी तौर से पटटा बनाकर आम लोगो के सार्वजनिक उपयोग (श्मशान भूमि) पर हको पर कुठाराघात करने की फिराक मे है, जो पूर्ण रूप से फर्जी पट्टा है, जो अपास्त होने योग्य है।

2(7)–निगरानीकर्ता तेजाराम ने ग्राम पंचायत रोल से मिसल नं. 11 व रसीद सं. 36 की नकल मांगी, तो ग्राम पंचायत रोल ने लिखकर दिया है कि उपरोक्त नकले ग्राम पंचायत रोल के रिकार्ड मे उपलब्ध ही नही है, इससे यह बात बखूबी साबित है कि तथाकथित मिसल न तो बनी, न ही उक्त पट्टा सं. 29 जारी करने की कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत मे हुई, न ही पट्टा की जमीन की कीमत जरिये रसीद सं. 36 ग्राम पंचायत मे जमा हुई, न ही प्रस्ताव सं. 5 मे अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी करने का कोइ उल्लेख ही है, ऐसी दशा मे तत्कालीन सरपंच गोरधनराम ने फर्जी तौर से रसीदो का उल्लेख करके फर्जी पट्टा बनाकर अप्रार्थी सं. 1 को अनुचित लाभ पहुचाने की नियत से जारी किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन मे Indian Kanoon पेज सं. 1 से 5 नजीर प्रस्तुत की।

3– वकील अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि –

3(1)– 1982 के पट्टे को इतने वर्ष बाद पेश किया, इतने वर्ष बाद पेश करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया। तथा अपने कथन के समर्थन में 2013 (1) RLW पेज 164 से 169 तथा 2007 (2) DNJ Raj पेज 975 से 980 मे नजीरे पेश की।

3(2)–12.11.82 को जारी पट्टा की प्रथम अपील पंचायत समिति में होती है, जो पेश नहीं की। जहां अपील का प्रावधान है तो रिविजन क्यों किया।

3(3)– पट्टा में रसीद संख्या 36/12.11.81 दर्ज है।

4– पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा मिसल सं.11/1980–81 जिसमे प्रस्ताव सं. 5 दिनांक 23.03.1981 जिसके द्वारा अप्रार्थी सं. 1 रामकिशोर के पक्ष में जारी पट्टा सं. 29 दिनांक 12.11.1982 जारी किया गया, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता ने उक्त जायगा आबादी की नहीं होकर श्मशान भूमि की जायगा होना उल्लेख किया है, जिसके विरूद्व में अप्रार्थी पट्टाधारी ने भी किसी रेकर्ड या रिकोर्ड से यह साबित नहीं किया है कि उक्त विवादित जायगा आबादी में स्थित हो जिससे यह भी नहीं माना जा सकता कि उक्त जायगा आवादी की जायगा है। हस्तगत प्रकरण में 1111 वर्गगज क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया गया है। जबकि राजस्थान पंचायत राज नियमावली के नियम 157 (1) (i) के अनुसार 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्र का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के अनुसार पट्टा हेतु किसी प्रकार का आवेदन नहीं किया है(क्रय के लिये), नियम 146 के अनुसार पंचायत द्वारा कोई पंचों की या अन्य सदस्यों की न तो कोई कमेटी गठित की गई, न ही कमेठी से मौका रिपोर्ट मंगवाई, नियम 148 के अनुसार आदेशिका में एक माह का समय व्यतीत होने का उल्लेख अवश्य है लेकिन पंचायत द्वारा नोटिस प्रकाशित करने की कोई प्रति या आमंत्रित करने की प्रति प्राप्त रिकोर्ड अनुसार पत्रावली में नहीं है। जबकि इन नियमों की पालना करना आज्ञापक है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत रोल, पंचायत समिति, मुण्डवा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रोल द्वारा मिसल सं. 11/1980–81 जिसमे प्रस्ताव सं 5 दिनांक 23.03.1981 जिसके द्वारा अप्रार्थी सं. 1 रामकिशोर के पक्ष में जारी पट्टा सं. 29 दिनांक 12.11.1982 जारी किया गया के संबंध मे उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान मे रखते हुए मौके की स्थिति रिकार्ड पर लेवे तथा दोनो पक्षों को सुनवाई, सबूत आदि का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलेक्टर, नागौर